<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 08/2020 दायर दिनांकः 06/08/2020

उनवान

1. अब्दुल सत्तार आयु 65 वर्ष पुत्र अब्दुल रहमान जाति मुसलमान निवासी ग्रा खेडली गद्दीयान तहसील अटरू जिला बारां हाल ग्राम डाबी जिला बून्दी (राज०)।
2. अब्दुल रईस आयु 62 वर्ष पुत्र अब्दुल रहमान जाति मुसलमान निवासी ग्रा खेडली गद्दीयान तहसील अटरू जिला बारां हाल ग्राम डाबी जिला बून्दी (राज०)।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय, अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट</u>

उपस्थिति :—

प्रार्थीः—विद्वान अभिभाषक श्री मो0 अमीनुद्दीन।

आदेश

दिनाकः 27/09/2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल निमोदा पटवार हल्का दड़ा तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 89 का ख0नं0 447/635 का रकबा 0.08 है0, ख0नं0 66 का रकबा 1.54 है0, ख0नं0 68 का रकबा 1.54 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 3.16 है0 आराजी प्रार्थीगण के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। नवीन नकल जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी क्रम 1 का नाम सत्तार पुत्र अब्दुलरहमान तथा प्रार्थी क्रम 2 का नाम रईस मोहम्मद पुत्र अब्दुलरहमान दर्ज खाता है। प्रार्थी [illegible] को घर पर सत्तार तथा प्रार्थी क्रम 2 को रईसमोहम्मद कहने के कारण आपके अधिनस्थ कर्मचा[illegible] ने प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी क्रम 1 का नाम सत्तार तथा प्रार्थी क्रम 2 का नाम रईसमोहम्मद दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी क्रम 1 का सही नाम अब्दुल सत्तार तथा प्रार्थी क्रम 2 का सही नाम अब्दुल रईस है। प्रार्थी क्रम 1 का नाम ग्राम पंचायत डाबी के प्रमाण पत्र, पास पोर्ट, ड्राईविंग लाईसेन्स, पेन कार्ड, बैंक पास बुक में अब्दुल सत्तार पुत्र अब्दुल रहमान दर्ज है जो सही है तथा प्रार्थी क्रम 2 का नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:58:13 IST
Reason: Self-Attested

आधार कार्ड, ग्राम पंचायत डाबी का प्रमाण पत्र बैंक पास बुक, जनआधार कार्ड, में अब्दुल रईस पुत्र अब्दुल रहमान दर्ज है जो सही है। उक्त दस्तावेजों की प्रतियां प्रार्थना पत्र के साथ में संलग्न है जो काबिल गौर है। बिना माननीय न्यायालय की सहायता के प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी कम 1 का नाम सत्तार के स्थान पर अब्दुल सत्तार तथा प्रार्थी कम 2 का नाम रईसमोहम्मद के स्थान पर अब्दुल रईस दर्ज किया जाना सम्भव नही है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी एवं दस्तावेज में प्रार्थीगण के नाम भिन्न–भिन्न होन से प्रार्थीगण को अपने स्वामित्व की आराजी पर सरकारी सहायता प्राप्त करने एवं राजकीय कार्यों एवं अन्य कार्यों के सम्पादन में काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। इसलिए प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी कम 1 का सही नाम अब्दुल सत्तार तथा प्रार्थी कम 2 का सही नाम अब्दुल रईस दर्ज किया जाना आवश्यक है। इस हेतु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश है।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी कम 1 का नाम सत्तार पुत्र अब्दुलरहमान के स्थान पर अब्दुल सत्तार पुत्र अब्दुल रहमान तथा प्रार्थी कम 2 का नाम रईसमोहम्मद पुत्र अब्दुलरहमान के स्थान पर अब्दुल रईस पुत्र अब्दुल रहमान दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी तहसीलदार महोदय अटरू को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश न करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के तहत **pw 1** से **pw3** के शपथ पत्र पेश किये गये।

अभिभाषक प्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि विवादित ग्राम एवं माल निमोदा तहसील अटरू में खाता संख्या 89 का ख0नं0 447/635 का रकबा 0.08 है0, ख0नं0 66 का रकबा 1.54 है0, ख0नं0 68 का रकबा 1.54 है0 [illegible] 3 का कुल रकबा 3.16 है0 शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है जिसमें प्रार्थी कम 1 का नाम सत्तार पुत्र अब्दुलरहमान के स्थान पर अब्दुल सत्तार पुत्र अब्दुल रहमान तथा प्रार्थी कम 2 का नाम रईसमोहम्मद पुत्र अब्दुलरहमान के स्थान पर अब्दुल रईस पुत्र अब्दुल रहमान दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी तहसीलदार महोदय अटरू को प्रदान किये जायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar
Date: 2021.10.08 12:58:13 IST
Reason: SelfAttested

रिकार्ड एवं साक्ष्य का अवलोकन किया गया संवत 2072–2075 की जमाबन्दी ग्राम निमोदा तहसील अटरू में खाता संख्या 89 का ख0नं0 447/635 का रकबा 0.08 है0, ख0नं0 66 का रकबा 1.54 है0, ख0नं0 68 का रकबा 1.54 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 3.16 है0 शामलाती खाते दर्ज है जिसमें प्रार्थी कम 1 का नाम सत्तार पुत्र अब्दुलरहमान तथा प्रार्थी कम 2 का नाम रईसमोहम्मद पुत्र अब्दुलरहमान दर्ज रिकार्ड है। अन्य रिकार्ड आधार कार्ड, भारत गणराज्य का पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस, आयकर विभाग का पेन कार्ड में प्रार्थी कम 1 का नाम अब्दुल सत्तार पुत्र अब्दुल रहमान दर्ज है व ग्राम पंचायत डाबी जिला बून्दी के प्रमाण पत्र दिनांक 13.07.2020 के अनुसार प्रार्थी कम 1 का नाम अब्दुल सत्तार है। तथा आधार कार्ड, बैंक ऑफ बडौदा डाबी की पास बुक, जनआधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड मे प्रार्थी कम 2 का नाम अब्दुल रईस पुत्र अब्दुल रहमान दर्ज है तथा ग्राम पंचायत डाबी जिला बून्दी के प्रमाण पत्र दिनांक 13.07.2020 के अनुसार प्रार्थी कम 2 का नाम अब्दुल रईस पुत्र अब्दुल रहमान है।

रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल निमोदा तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 89 का ख0नं0 447/635 का रकबा 0.08 है0, ख0नं0 66 का रकबा 1.54 है0, ख0नं0 68 का रकबा 1.54 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 3.16 है0 शामलाती खाते में सहखातेदार प्रार्थी कम 1 का नाम सत्तार पुत्र अब्दुलरहमान के स्थान पर सत्तार उर्फ अब्दुल सत्तार पुत्र अब्दुल रहमान तथा प्रार्थी कम 2 का नाम रईस मोहम्मद पुत्र अब्दुलरहमान के स्थान पर रईस मोहम्मद उर्फ अब्दुल रईस पुत्र अब्दुल रहमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2021 को [illegible] द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:58:13 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां